निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

तारीख दायरा 09.12.2020

मि0नं0 140/अपील/20

उनवान अपील

1. कालूलाल पुत्र भेरू जाति दांगी निवासी जेताखेड़ी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़
2. केसरबाई पत्नी स्व0 भेरू जाति दांगी निवासी जेताखेड़ी तहसील पिड़ावा,झालावाड

(अपीलांट्स)

बनाम

01. मनोहर पुत्र भगवतसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ (मृतक) का0मु0
(1/1). सुखमाल पुत्र मनोहर जाति महाजन निवासी पिड़ावा
(1/2). सुरेश पुत्र मनोहर जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड
(1/3). सुच्चीबाई पत्नी लक्ष्मीचंद पुत्री मनोहर जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा
02. कैलाशसिंह पुत्र भगवतसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा, झालावाड़
03. भोपाल पुत्र भंवरसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़
04. मनोहरसिंह आ0 करणसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा, झालावाड़
05. अशोकसिंह आ0 करणसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा, झालावाड़
06. भवानीबाई बैवा करणसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा, झालावाड़
07. पूरीलाल आ0 रामप्रताप जाति दांगी निवासी जैताखेड़ी तहसील पिड़ावा
08. बापूलाल आ0 रामप्रताप जाति दांगी निवासी जैताखेड़ी तहसील पिड़ावा
09. राधेश्याम आ0 रामप्रताप जाति दांगी निवासी जैताखेड़ी तहसील पिड़ावा
10. जड़ावबाई बैवा रामप्रताप जाति दांगी निवासी जैताखेड़ी तहसील पिड़ावा
11. पारीबाई बैवा गौकुल जाति दांगी निवासी जैताखेड़ी तहसील पिड़ावा
12. मनोहरबाई पुत्री भगवतसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा
13. उपमा पुत्री रजनीश नाबालिग जर्ये वली माता शशिबाला
14. शशिबाला बैवा रजनीश जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा
15. दीपक कुमार पुत्र रायसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा
16. शैलेन्द्र कुमार पुत्र रायसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा
17. हर्षित पुत्र रजनीश जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा
18. संगीता पुत्री रायसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा
19. सुमनबाई पुत्री भगवतसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा (मृतका)
(19/1). कैलाश पुत्र भंवरलाल पति मृतका सुमनबाई जाति महाजन निवासी पिड़ावा (फोत)का0मु0
(19/2). पंकज पुत्र कैलाश माता मृतका सुमनबाई
(19/3). लोकेश पुत्र कैलाश माता मृतका सुमनबाई जातियान महाजन निवासी पिड़ावा
20. कौशल्याबाई पुत्री भगवतसिंह जाति महाजन निवासी पिड़ावा तहसील पिड़ावा, झालावाड़
21. लीलाबाई पुत्री भगवतसिंह पत्नी प्रद्युम्न (पंचायत सेकेटरी) निवासी पिड़ावा हाल निवास गांव सुसनेर तहसील सुसनेर जिला आगर म0प्र0 पिन:465447

(रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 06.12.2019 मिसल नं0 01/2015 अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— श्री बालचन्द दांगी, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री फिरोज अहमद ,अभिभाषक रेस्पो0 1/1,1/2,2,3
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पो0 4,5,6
श्री रवि मिश्रा,अभिभाषक रेस्पो0 7,8,9,10,11

—: निर्णय :—

दिनांक: 05.04.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार तहसील पिड़ावा के आदेश दिनांक 06.12.2019 जो मिसल न0 01/2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट को ग्राम राजपुरा की उसकी आराजी ख0न0 186 पर आने—जाने हेतु ख0न0 187 व 188 की मेर पर से होकर रास्ता दिया गया से

जिला कलक्टर
झालावाड़

असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ख0न0 186 के खातेदारों द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के समक्ष उनकी आराजी पर आने–जाने का रास्ता बन्द कर दिये जाने पर दोनों रास्तों को खुलासा कराने का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार पिड़ावा द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपील मेंमों में अंकन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट को विधि सम्मत नोटिस की तामील न होते हुए भी तामील मानकर एक पक्षीय आदेश दिया जाकर साक्ष्य व जवाबदेही का अवसर नही दिया गया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नही दिया कि रेस्पो0 1 लगायत 3 का अपनी आराजी पर आने जाने का रास्ता पिड़ावा मायाखेड़ी सडक से ख0न0 196 के मध्य व ख0न0 191 की दक्षिण मेर से होकर रहा है, जिस पर रेस्पो0 आसानी से आ जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी मौका रिपोर्ट 17.01.2019 को नही मानकर भूल की है। रास्ते के विवाद को 15.07.2014 व 22.06.2015 को थानाधिकारी पिड़ावा की मौजूदगी में स्वीकार किया जा चुका है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील निरस्त कर अपील रिमाण्ड किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पो0 1/1,1/2, 2 व 3 की और से अभिभाषक श्री फिरोज अहमद,रेस्पो0 4,5 व 6 की और से अभिभाषक श्री राम माहेश्वरी व रेस्पोडेन्ट 7,8,9,10,11 की और से अभिभाषक श्री रवि मिश्रा उपस्थित हुए रेस्पोडेन्ट 12 लगायत 21 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मींमों की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट को विधि सम्मत नोटिस की तामील न होते हुए भी तामील मानकर एक पक्षीय आदेश दिया जाकर साक्ष्य व जवाबदेही का अवसर नही दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 1 लगायत 3 का अपनी आराजी पर आने जाने का रास्ता पिड़ावा मायाखेड़ी सडक से ख0न0 196 के मध्य व ख0न0 191 की दक्षिण मेर से होकर रहा है, जिस पर रेस्पो0 आसानी से आ जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी मौका रिपोर्ट 17.01.2019 को नहीं मानकर भूल की है। रास्ते के विवाद को 15.07.2014 व 22.06.2015 को थानाधिकारी–पिड़ावा की मौजूदगी में स्वीकार किया जा चुका है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील निरस्त कर अपील रिमाण्ड किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 1/1,1/2,2 व 3 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस की पुष्टी में मुख्यतः कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रा0पत्र स्वीकार कर रास्ता खुलासा को जो आदेश दिया गया है उचित है,निर्णय एक पक्षीय नही है तहसीलदार द्वारा विधिवत सभी विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर दिनांक 24.11.2015 को एकतरफा आदेश दिया गया व सुनवाई जारी रखी जिसमें अप्रार्थीगण मनोहर,अशोक पिसरान करण सिंह व भवानीबाई ने दावे को कन्टेस कर जवाब प्रा0पत्र तहसील में पेश कर स्पष्ट किया कि खसरा न0 190 से होकर खसरा न0 189,191 में कोई रास्ता प्रार्थीगण का नही है,तत्पश्चात तहसीलदार पिड़ावा द्वारा साक्ष्य पश्चात बहस सुनी जाकर मौका निरीक्षण सम्बन्धि पटवारी से करवाकर निर्णय पारित किया गया जिसमें ख0न0 186 पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का कदीमी रास्ता राजपुरा की आराजी ख0न0 187 व 188 की मध्य मेर पर होकर और रास्ता सरकारी रेकार्ड में दर्ज होना जो पिड़ावा राजपुरा,जेताखेड़ी मार्ग पर स्थित होने व खसरा न0 186 सड़क से 200 फीट दूर होने पर व ग्राम पंचायत ओडियाखेड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014, 20.06.2015 व दिनांक 17.01.2019 पर आधारित किया गया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकन किया है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण खसरा न0 190 के रास्ते पर होकर खसरा न0 189,203,204 में होकर जावें इस सम्बन्ध में निवेदन है कि यह रास्ता भी बन्द है और रेकार्ड में दर्ज नही है। खसरा न0 187 के खातेदार व ख0न0 188 के खातेदारों को रास्ते से कोई आपत्ति नही है सिर्फ ख0न0 188 के सह खातेदार अपीलान्ट को ही आपत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है अपील खारिज की जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 4,5,6 द्वारा व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, क्यों कि ख0न0 186 पर आने जाने हेतु निकटतम रास्ता ख0न0 187 व 188 की मध्य मेर पर से दिया गया है जो उचित है।

अभिभाषक रेस्पो0 7 लगायत 11 द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि खसरा न0 188 जिसका रकबा 0.4932 हेक्टेयर है जिसमें 07 सह खातेदार है उक्त भूमि में से रास्ता देने पर सभी सह खातेदार को परेशानी उत्पन्न हो जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का मायाखेड़ी तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 186 पर आने जाने हेतु जो रास्ता तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.12.2019 से ख0न0 187 व 188 की मध्य मेर पर से होकर दिया गया है क्या वह उचित है? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण मनोहर,केलाश आ0 भगवतसिंह भोपालसिंह आ0 भंवरसिंह द्वारा ग्राम राजपुरा की आराजी ख0न0 186 करबा 12 बीघा 05 बिस्वा पर आने जाने के कदीमी रास्तों एक पिड़ावा से जेताखेड़ी वाले रोड़ पर व दूसरा पिड़ावा से माखखेड़ी वाले रोड़ इन दोनो रास्तों को अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 द्वारा अवरोध कर रास्ता बन्द कर देने से उक्त दोनो रास्तों को खुलासा करवाने का अनुरोध किया गया था। इसी कम में ग्राम राजपुरा पटवारी द्वारा दिनांक 05.07.2014 को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि ग्राम राजपुरा की आराजी ख0न0 186 व 190 के खातेदारों का रास्ता रोका गया है,मौके पर खातेदारों का रास्ता मेन सड़क पिड़ावा से मायाखेड़ी व जेताखेड़ी से पिड़ावा दोनो रास्तों के मध्य स्थित है, मौके पर उपस्थित खातेदारों ने बताया कि व दोनो रास्तों से आते जाते थे। इसी तरह पत्रावली में सलंग्न थानाधिकारी पिड़ावा के समक्ष दिनांक 15.07.2014 को किये गये समझोते की छाया प्रति में अंकन है '' आज दिनांक 15.07.2014 को थाने पर दोनो पक्षों को उप0आये और प्रार्थीगणों का रास्ता मनोहरसिंह व भोपालसिंह व कैलाश व छगनलाल धोबी पिड़ावा के आज से अस्थाई रूप से मायाखेड़ी रोड़ से विपक्षीगण अशोक व मनोहर सिंह व त्रिलोकचन्द जैन नि0 पिड़ावा के खेत की मेर से हकाई के लिये ट्रक्टर का आना जाना रहेगा।'' इस प्रकार मनोहरसिंह,भोपालसिंह आदि की आराजी ख0न0 186 पर आने जाने हेतु विपक्षी अशोक व मनोहरसिंह की आराजी ख0न0 191 पर से रास्ता समझाईश से दिया गया । इसी कम में पत्रावली में संलग्न थानाधिकारी पिड़ावा के समक्ष दिनांक 22.06.2015 को किये गये समझोते की छाया प्रति में अंकन है '' सीएलजी सदस्यों की समझाईश से दोनो पक्षों का समझोता हुआ की भोपालसिंह आ0 भंवरसिंह आज दिनांक 22.06.2015 से लेकर मनोहरसिंह के खेत में से रास्ते से मेड़ से होकर निकलेगा'' । इस प्रकार भोपालसिंह आराजी ख0न0 186 पर आने जाने का रास्ता मनोहरसिंह की आराजी 191 पर समझाईश से दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी ख0न0 186 जिसका रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा है पर आने जाने हेतु खातेदारों द्वारा कदीमी रास्तों एक पिड़ावा से जेताखेड़ी वाले रोड़ पर व दूसरा पिड़ावा से माखखेड़ी वाले रोड़ इन दोनो रास्तों को अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 द्वारा अवरोध कर रास्ता बन्द कर देने से उक्त दोनो रास्तों को खुलासा करवाने का अनुरोध किया गया था और थानाधिकारी पिड़ावा के समक्ष वर्ष 2014 व 2015 में उक्त आराजी ख0न0 186 पर आने जाने हेतु ख0न0 190 में से रास्ता दिये जाने का समझोता होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख0न0 187 व 188 की मध्य मेर पर से होकर रास्ता दिया गया है उक्त आराजी के खातेदार इससे असहमत है। अपीलान्ट्स के कथन से हम सहमत है कि उनको सुनवाई का अवसर नही दिया गया क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किये गये हैं उनकी तामील प्रोपर नही करवाई जाकर मात्र खानापूर्ति की गई है तामिल किस व्यक्ति को किस गवाह के सामने करवाई गई कंही अंकन नही है । इसी तरह अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी ख0न0 186 पर आने जाने हेतु कदीमी रास्तों एक पिड़ावा से जेताखेड़ी वाले रोड़ पर व दूसरा पिड़ावा से मायाखेड़ी वाले रोड़ इन दोनो रास्तों को अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 द्वारा अवरोध कर रास्ता बन्द कर देने से उक्त दोनो रास्तों को खुलासा करवाने का अनुरोध किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रा0पत्र में जो अनुतोष चाहा

जिला कलक्टर
झालावाड़

गया था उसके विपरित पिड़ावा से जेताखेड़ी रोड़ वाले ख0न0 बाबत निर्णय पारित किया गया और पिड़ावा से मायाखेड़ी वाले रास्ते की और ध्यान नही दिया। थानाधिकारी द्वारा 2 चार सीएलजी सदस्यों के समक्ष रास्ते की समझाईश भी की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रास्ते जिसमें भी ख0न0 188 जिसका रकबा 0.4932 हेक्टेयर है जिसमें 07 सह खातेदार है उक्त आराजी पर से रास्ता दिया गया उनके द्वारा इस बाबत विचार ही नही किया गया कि उक्त ख0न0 188 के 07 सह खातेदारों के हिस्से में कितनी भूमि रह जावेगी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को थानाधिकारी के समक्ष सीएलजी सदस्यों की उपस्थिति में समझाईश से उभय पक्ष के मध्य रास्ते बाबत हुए राजीनामा के विपरीत तहसीलदार पिड़ावा द्वारा निर्णय पारित किया जाना साबित है। तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपने निर्णय में अंकन किया है " उपरोक्त तीनों रिपोर्टो का विवेचन करने पर ख0न0 186 में जाने का कदीमी रास्ता ख0न0 187 व 188 की मध्य मेड़ पर होकर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए दिया जाता है। नक्शे में भी इसे बिन्दु लाईन से प्रदर्शित किया जावे।" इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय से विदित होता है कि उनके द्वारा रास्ते को बिन्दु लाईन से प्रदर्शित कर स्थायी रास्ता कायम कर दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को किसी भी रूप में उचित नही ठहराया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.12.2019 अपास्त किया जाता है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 186 पर आने–जाने के लिये वास्तविक रूप से पूर्व में कोनसा रास्ता उपयोग में आ रहा था(way in actual enjoyment) इस पक्ष को मध्य नजर रखते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तथा पक्षकारान व ग्रामवासियों की साक्ष्य ली जाकर आराजी पर पहुंच हेतु सुखाचार को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्णय पारित करें । उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के समक्ष अपना–अपना पक्ष रखने हेतु दिनांकः 05.05.2022 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे तथा यह पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़